

26.09.2025

आवेदक द्वारा श्री आर.के. पटेल, अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री अनिमेष त्रिवेदी,
अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री बी.सी. कैवर्त्य, अधिवक्ता ।

वाद प्रश्न हेतु नियत है ।

सूची मय दस्तावेज पेश ।

प्रकरण में वाद प्रश्न विरचित किया गया । उभयपक्ष
वाद प्रश्न का अध्ययन कर ले यदि कोई आपत्ति हो तो
आगामी तिथि पर लिखित में पेश करे ।

यदि किसी साक्षी का परीक्षण कमीशन पर कराना
चाहते हो, तो किसी लोक सेवक का परीक्षण कराना चाहते
हो तो उक्त संबंध में आवेदन आगामी तिथि पर प्रस्तुत करे ।
आदेश 11 एवं 12 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का
लाभ लेना चाहते हो तो उक्त संबंध में भी आवेदन आगामी
तिथि पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके पश्चात उक्त
कार्यवाही हेतु अवसर नहीं दिया जायेगा ।

उभयपक्ष आगामी तिथि पर अपने-अपने साक्षियों की
सूची अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा पक्षकारों के
अतिरिक्त अन्य साक्षियों के परीक्षण की अनुमति नहीं दी
जायेगी ।

प्रकरण साक्ष्य तिथि निर्धारण हेतु — 06.10.2025

(अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी)

मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बलौदाबाजार (छ.ग.)